प्रधान मंत्री
आवास योजना-शहरी
Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban

मिशन निदेशालय
सबके लिए आवास / एस.एल.एन.ए.-सूडा(उ.प्र.)
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

23, सैक्टर-7, गोमती नगर विस्तार,
(निकट डायल-100) लखनऊ-226010
website-www.sudaup.org
email-hfaup1@gmail.com

पत्रांकः- 987 / 01 / 29 / HFA-13 / 2018-19 दिनांकः- 28 मई, 2018

समस्त परियोजना अधिकारी / सहा0परि0अधि0
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

विषयः- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत पासबुक उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक अवगत हो कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत स्वीकृत पात्र लाभार्थियों का सम्बन्धित कन्सलटेन्ट द्वारा जिओ टैग करने के पश्चात् सम्बन्धित लाभार्थी का समस्त विवरण अंकित करते हुए पासबुक तैयार की जायेगी, जिसकी मूल प्रति लाभार्थी को तथा उसकी कन्सलटेन्ट द्वारा सत्यापित द्वितीय प्रति सम्बन्धित डूडा कार्यालय में जमा की जायेगी।

इस सम्बन्ध में मुख्यालय से आपको लाभार्थी पासबुक इस निर्देश के साथ उपलब्ध करायी जा रही है कि पासबुक का स्टॉक रजिस्टर में अंकन करते हुए सम्बन्धित कन्सलटेन्ट को आवश्यकतानुसार पासबुक उपलब्ध कराते हुए अपडेट करें मूल प्रति लाभार्थी को तथा प्रत्येक लाभार्थी की पासबुक की सत्यापित द्वितीय प्रति कार्यालय में सम्बन्धित लाभार्थी की पत्रावली पर संरक्षित करना सुनिश्चित करें।

जारी
28/5/18

संलग्नकः-यथोपरि।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक (एचएफए)

प्रतिलिपिः-

1. समस्त डीपीआर / पीएमसी कन्सलटेन्टस को इस निर्देश के साथ कि सम्बन्धित डूडा से आवश्यकतानुसार पासबुक प्राप्त कर लें तथा सूचनाएं भरकर उपरोक्तानुसार सम्बन्धित लाभार्थी को उपलब्ध कराते हुए सत्यापित प्रति सम्बन्धित डूडा कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक (एचएफए)

HFA6/159